आपराधिक पुनरीक्षण कं. 01/2018
आपराधिक पुनरीक्षण कं. 02/2018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
(समक्ष–सुरेखा मिश्रा)

आपराधिक पुनरीक्षण कं. 01/2018
फाइलिंग नं. सी.आर.आर./545/2018
संस्थित दि. 15/02/2018

नीलेश उर्फ टीकाराम पिता देवीलाल चौहान, आयु वयस्क,
निवासी कन्नौद, आष्टा रोड, थाना कन्नौद,
जिला देवास (म.प्र.).....पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

विरुद्ध

श्रीमती तारा उर्फ सीमा मालवीय पत्नी नीलेश उर्फ टीकाराम,
आयु वयस्क, निवासी ग्राम बरखेडा, थाना औबेदुल्लागंज,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.).....उत्तरदाता/आवेदिका

आपराधिक पुनरीक्षण कं. 02/2018
फाइलिंग नं. सी.आर.आर./548/2018
संस्थित दि. 16/02/2018

श्रीमती तारा उर्फ सीमा मालवीय पत्नी नीलेश उर्फ टीकाराम,
आयु वयस्क, निवासी ग्राम बरखेडा, थाना औबेदुल्लागंज,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.).....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका

विरुद्ध

नीलेश उर्फ टीकाराम पिता देवीलाल चौहान, आयु वयस्क,
निवासी कन्नौद, आष्टा रोड, थाना कन्नौद,
जिला देवास (म.प्र.).....उत्तरदाता/अनावेदक

श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) के न्यायालय के एम.जे.सी. प्रकरण कमांक 16/15 श्रीमती तारा उर्फ सीमा मालवीय विरुद्ध नीलेश उर्फ टीकाराम में पारित आदेश दिनांक 22/01/2018 से उदभूत आपराधिक पुनरीक्षण।

अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक : श्री कैलाश साहू।
अधिवक्ता उत्तरदाता/आवेदिका : श्री ओ.यू. खान।

आदेश

(आज दिनांक 29/06/2018 को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक ने आपराधिक पुनरीक्षण कमांक 01/2018 तथा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने आपराधिक पुनरीक्षण कमांक 02/2018 धारा 397, 399 दं.प्र.सं. के अधीन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) श्री विनोद अहिरवार के न्यायालय के एम जे सी प्रकरण कमांक 16/2015 श्रीमती तारा उर्फ सीमा विरुद्ध नीलेश में पारित आदेश दिनांक 22/01/2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की हैं, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा आवेदिका को एक हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिए जाने का आदेश दिया गया है।

02. उक्त दोनों पुनरीक्षण एक ही आदेश से उदभूत हैं, अतः दोनों पुनरीक्षण को एक साथ सुना जाकर एक साथ आदेश पारित किया जा रहा है। आदेश में आगे सुविधा की दृष्टि से पुनरीक्षण कमांक 01/2018 के पुनरीक्षणकर्ता को अनावेदक तथा पुनरीक्षण कमांक 02/2018 के पुनरीक्षणकर्ता को आवेदिका से संबोधित किया जा रहा है।

03. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दांडिक एम जे सी प्रकरण कमांक 16/2015 में पुनरीक्षणकर्ता तारा उर्फ सीमा आवेदिका है तथा नीलेश उर्फ टीकाराम अनावेदक है। आवेदिका तारा उर्फ सीमा द्वारा अनावेदक के विरुद्ध धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत 15 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाए जाने हेतु आवेदन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/07/2015 को प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुने जाने के पश्चात आलोच्य आदेश दिनांक 22/01/2018 पारित किया गया है, जिसमें आवेदिका का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे अनावेदक से एक हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।

04. पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22/01/2018 की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उक्त आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। पुनरीक्षण कमांक 01/2018 के पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आलोच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण नहीं किया गया है। प्रदर्श पी 2 के दस्तावेजों को नजरअंदाज किया गया है। आवेदिका स्वयं की मर्जी से अपने पिता के घर रह रही है। अनावेदक की आमदनी का कोई साधन नहीं है। फिर भी एक हजार रुपये भरण पोषण देने हेतु आदेशित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसके एवं साक्षियों के कथनों पर अविश्वास कर जो आदेश पारित किया

है वह निरस्त किए जाने योग्य है। पुनरीक्षण कमांक 02/2018 के पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22/01/2018 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि उसकी कोई आमदनी नहीं है तथा वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका अक्सर बीमार रहती है इस महंगाई के दौर में एक हजार रुपये का कोई मूल्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदिका एवं उसके साक्षियों के कथनों पर अविश्वास कर आदेश पारित किया है। अनावेदक की आमदनी प्रतिमाह बीस हजार रुपये की है। आवेदिका को प्रतिमाह पांच हजार रुपयों की आवश्यकता है। इन सभी तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया है अतः आलोच्य आदेश दिनांक 22/01/2018 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

05. न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं :–

> ''क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22/01/2018 शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता की दृष्टि से दोषपूर्ण होने के कारण हस्तक्षेप योग्य है?''

सकारण निष्कर्ष

06. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस पुनरीक्षण के संबंध में उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तथा आलोच्य आदेश दिनांक 22/01/2018 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है तथा विवाह के पश्चात वह अपने ससुराल में विदा होकर गई थी। आवेदिका की साक्ष्य के अनुसार विवाह के तीन माह उपरांत ही अनावेदक और उसके ससुराल वालों द्वारा उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया जाने लगा और उनके द्वारा मांगे गए दहेज देने की हैसियत उसके माता पिता के पास नहीं थी। अनावेदक द्वारा दिनांक 24/11/2012 को उसे मायके छोड दिया गया। उसके द्वारा दहेज प्रताडना की रिपोर्ट की गई थी। अनावेदक और उसके परिवार वालों द्वारा धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रकरण लगाया गया था और समझाइश देने पर वह अनावेदक के पास रहने के लिए ससुराल गई थी, वहां कुछ महीने रही और फिर से मारपीट, गाली गलौच और दहेज की मांग की गई। तब उसने थाने में मारपीट और दहेज की रिपोर्ट लिखाई थी और अपने पिता के पास आ गई तब से वह अपने पिता के पास रह रही है।

07. अनावेदक द्वारा साक्ष्य में आवेदिका द्वारा उसके और उसके माता पिता के विरुद्ध दहेज की रिपोर्ट लिखाया जाना तथा स्वयं उसके द्वारा धारा 9 का आवेदन पेश किया जाना स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उस प्रकरण में

आवेदिका उसके साथ रहने को तैयार हो गई थी तथा वर्तमान में आवेदिका का उसके साथ न रहना भी अनावेदक द्वारा साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदिका और अनावेदक के मध्य पूर्व से पारिवारिक विवाद चला आ रहा है और वर्तमान में आवेदिका अनावेदक के पास नहीं रह रही है। अनावेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि वह आवेदिका को नहीं रखना चाहता था इसलिए दिनांक 27/07/2014 के बाद उसे लेने नहीं आया और आवेदिका उसके साथ जाना भी चाहे तो उसे नहीं ले जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयं अनावेदक आवेदिका को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है और आवेदिका का अनावेदक के साथ न रहने का पर्याप्त कारण दर्शित होता है।

08. आवेदिका की साक्ष्य अनुसार वह कोई काम नहीं करती जिस संबंध में अनावेदक द्वारा साक्ष्य में यह कहा गया है कि आवेदिका क्या करती है, उसकी क्या आय थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार आवेदिका की साक्ष्य का खंडन नहीं हुआ है कि आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। वह अपना भरण पोषण करने में स्वयं असमर्थ है ऐसी स्थिति में अनावेदक का दायित्व है कि वह आवेदिका का भरण पोषण करे। अनावेदक उसे अपने साथ रखने को इच्छुक नहीं है ऐसी स्थिति में आवेदिका को अनावेदक से भरण पोषण प्राप्त किए जाने का अधिकार है। आवेदिका द्वारा अनावेदक से बीस हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि इस आधार पर दिलाए जाने की मांग की गई है कि उसका पति सुपरवाइजर है उसे 22 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। अनावेदक के पास 13 एकड सिंचित भूमि है जिससे उसे लगभग पांच लाख रुपये वार्षिक आमदनी होती है। अनावेदक के पास दो मकान हैं, किन्तु इस संबंध में आवेदिका द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसे आवेदिका द्वारा साक्ष्य में स्वीकार भी किया गया है। अतः आवेदिका साक्ष्य से अनावेदक को प्रतिमाह 22 हजार रुपये तनख्वाह प्राप्त होना और कृषि से आय प्राप्त होना प्रमाणित नहीं होता है और न ही यह प्रमाणित होता है कि उसके पास दो मकान हैं। अनावेदक द्वारा स्वयं मजदूरी कर आय अर्जित करना बताया है।

09. अतः अनावेदक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका को अनावेदक से प्रतिमाह एक हजार रुपये भरण पोषण राशि दिलाए जाने के प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

10. अतः उक्तानुसार किए गए विश्लेषण के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता व अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती है जिसके कारण विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22/01/2018 में इस पुनरीक्षण के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

11. परिणामतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकाएं सारहीन होने से निरस्त की जाती हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/01/2018 की पुष्टि की जाती है।

12. इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

खुले न्यायालय में पारित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही/–
(सुरेखा मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश, गौहरगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/–
(सुरेखा मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश, गौहरगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय/विधिक उपयोग हेतु अमा